







## फार्स्ट फॉरवर्ड ►

बाइक की टक्कर से व्यक्ति की मौत

जन एक्सप्रेस/अयोध्या। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के अयोध्या-रायबरेली रोड पर रानीगंजार में शनिवार की रात बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राम अंजोर यादव पुरु जयपाल यादव निवास अमोना मजरे सुबेदार का पुरावा सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से चढ़े थे आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। जिससे नक्के रास पर गंभीर चोट आई। परिजन पहले जिला अस्पताल ले गए उसके बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां रिहावर सुबह उनकी मौत हो गई। यहां प्रभारी रतन कुमार शर्मा ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिली है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। वहीं मृतक के परिजनों में कांहराम चमा हुआ है।

## मार-पीट का मुकदमा पंजीकृत

जन एक्सप्रेस/वीकापुर- अयोध्या। कोतवाली क्षेत्र के चौरं चंदोली (भौजई का पुरा) गाँव में शनिवार की शाम दीवार के बाहर घुसा जलाने के बिंदाल को लेकर मारपीट होने पर प्रभिला पीली मोहन वीहान की शिकायत पर चार लोग पार्टी, पृष्ठा, राणा और बरसाती के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 256/24 धारा 452 323 504 506 में मुकदमा पंजीकृत करके स्थानीय पुलिस कांहराम चमा कर रही है। जिसमें प्रभिला और मुनन का प्राथमिक उचाव सीएचसी में होना बताया गया है।

## 58 वर्षीय महिला का संदिध परिस्थितियों में फार्सी पर लटका मिला शव

जन एक्सप्रेस/मिल्कीपुर अयोध्या। कुमारगंज थाना क्षेत्र स्थित जरियम गाँव में और विवाह को लेकर हुई तू तू में और तत्कार के कांदे 58 वर्षीय महिला का शव उसके घर के ही सामने रास्ते में स्थित नीम के पेड़ से साढ़ी के सहारे संदिध परिस्थितियों में लटका पारा जाने के बाद गाँव में जनसंस्कृती फैल गई है। घटना की जानकारी पारक मोहन पर पहांची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटना की गहन छानबीन की और महिला का शव छानबीन की तरह बरवार कर दिया था। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमर्टम हेतु भेज दिया है। उधर दूसरी ओर महिला के परिजनों ने हत्या कर शव को फैले रखा लटकाकर अम्बिह्या का रूप दिया जाने का आशकरण कराया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गाँव के किशन सिंह और सूर्य नारायण सिंह के बीच रास्ते की भूमि पर अवैध कंजड़ीरा को लेकर विवाह चार महीने से बार रहा था। जिसमें प्रभिला पुलिस दोनों पक्षों का शान्त भग्न में कार्यवाही भी किया था, वीरे शनिवार की कुमारगंज पुलिस ने दोनों पक्षों का थाने तुलाया था जहां दोनों पक्षों के परिवारिक राज मोहन पर और सूर्य नारायण सिंह की पत्नी जमुना सिंह को 9.6 फीट जमीन दिलाते हुए दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था। दोनों पक्ष थारे से अपने राय सामने लगाए थे जहां गाँव में रात करीब 11:00 बजे तक दोनों पक्षों में जमकर विवाह और गाली गाली होता रहा। इसके बाद दोनों पक्ष एप्पन-अप्पने चौंके के चौंके लगाए थे। विवाह की भी मोहन और महिला जमुना सिंह के परिजनों ने उनकी पत्नी नीम के पेड़ की लाल से साढ़ी के सारे लटकों हुई है। उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी पारक प्रभारी निरीक्षक टीम के साथ मोहन पर राय सामने लगाए थे और उन्होंने फॉरेंसिक टीम बुलाकर गहन छानबीन का शव कछो भेज दिया। जानकारी का शव उसके घर के उपरांत पोस्टमर्टम हेतु भेज दिया।

बबलू की मुलाकात केवल शिश्चार मुलाकात, लोकसभा में डिटी सीकर बनने की अटकों पर कहा आगर ऐसा हुआ तो भी मैं हड्डा जनता के बीच में ही मिल्कीपुर विधानसभा उच्चनाव में बनेगा इतिहास, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी सपा-प्रेसवार्ता के दोरान जिलाध्यक्ष पारसानाथ यादव, पूर्व विधायक यशकंश पांडेय महिला जिलाध्यक्ष सरोज यादव बलराम यादव सहित अन्य सपा नेता मौजूद रहे।

## जिले के सभी बूथों पर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनी गई मन की बात

## जन एक्सप्रेस | अयोध्या

आर्य नेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अध्यनरत आठ अन्न-छात्राओं के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई हड्डा दंडात्मक कार्यवाही को लेकर अधिकारी भारतीय विधायिकी परिषद के आंदोलन के आगे आधिकारिक विश्वविद्यालय प्रशासन को मुहूर्म की खानी पड़ गई है। नराज एवं आकोशित छात्रों के तेवर देखा विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधिकारक यूटर्न से लिया दिया है। जिसके क्रम में छात्रों के विरुद्ध हुई कार्यवाही वापस से निकासित किए जाने के बाद अन्न-छात्राओं के खानी पड़ गई है। नराज एवं आकोशित छात्रों के तेवर देखा विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधिकारक यूटर्न से लिया दिया है। इसके बाद अन्न-छात्राओं को गुस्सा सातों आपस में चेतावनी देकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सम्मुच्चेद प्रकरण पर किया रखा दिया गया है। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन को समाप्त करते हुए उनके बाद अन्न-छात्राओं को गुस्सा सातों आपस में चेतावनी देकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सम्मुच्चेद प्रकरण पर किया रखा दिया गया है।

## जिले के सभी बूथों पर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनी गई मन की बात

## जन एक्सप्रेस | अयोध्या

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी महेन्द्र कमार मिश्र ने बताया कि उनमें जर्कर की टक्कर की बोई, लखनऊ द्वारा उनमें जर्कर की टक्कर की बोई हो गई। जिसमें 5.1 करोड़ का उत्तरायण भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया है। कारिंडोर की चौड़ा लंबाई 17 मीटर है। पैदल चारों ओर घर घर से बाहर दौड़ने तराफ़ पारदर्शक के लिए एक आयताकार सर्किट के रूप में बाकर तैयार है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आप जाने के बाद एक व्यक्ति ने जिसमें 11.81 करोड़ की लागत आई है, जिसमें 5.1 करोड़ का उत्तरायण भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया है। यहां के निवासी रामनन्द यादव उक्त लंबाई 17 मीटर है।

## जिले के सभी बूथों पर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनी गई मन की बात

## जन एक्सप्रेस | अयोध्या

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी महेन्द्र कमार मिश्र ने बताया कि उनमें जर्कर की टक्कर की बोई, लखनऊ द्वारा उनमें जर्कर की टक्कर की बोई हो गई। जिसमें 5.1 करोड़ का उत्तरायण भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया है। कारिंडोर की चौड़ा लंबाई 17 मीटर है। पैदल चारों ओर घर घर से बाहर दौड़ने तराफ़ पारदर्शक के लिए एक आयताकार सर्किट के रूप में बाकर तैयार है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आप जाने के बाद एक व्यक्ति ने जिसमें 11.81 करोड़ की लागत आई है, जिसमें 5.1 करोड़ का उत्तरायण भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया है। यहां के निवासी रामनन्द यादव उक्त लंबाई 17 मीटर है।

## जिले के सभी बूथों पर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनी गई मन की बात

## जन एक्सप्रेस | अयोध्या

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी महेन्द्र कमार मिश्र ने बताया कि उनमें जर्कर की टक्कर की बोई, लखनऊ द्वारा उनमें जर्कर की टक्कर की बोई हो गई। जिसमें 5.1 करोड़ का उत्तरायण भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया है। कारिंडोर की चौड़ा लंबाई 17 मीटर है। पैदल चारों ओर घर घर से बाहर दौड़ने तराफ़ पारदर्शक के लिए एक आयताकार सर्किट के रूप में बाकर तैयार है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आप जाने के बाद एक व्यक्ति ने जिसमें 11.81 करोड़ की लागत आई है, जिसमें 5.1 करोड़ का उत्तरायण भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया है। कारिंडोर की चौड़ा लंबाई 17 मीटर है।

## जिले के सभी बूथों पर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनी गई मन की बात

## जन एक्सप्रेस | अयोध्या

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी महेन्द्र कमार मिश्र ने बताया कि उनमें जर्कर की टक्कर की बोई, लखनऊ द्वारा उनमें जर्कर की टक्कर की बोई हो गई। जिसमें 5.1 करोड़ का उत्तरायण भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया है। कारिंडोर की चौड़ा लंबाई 17 मीटर है।

## जिले के सभी बूथों पर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनी गई मन की बात

## जन एक्सप्रेस | अयोध्या

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी महेन्द्र कमार मिश्र ने बताया कि उनमें जर्कर की टक्कर की बोई, लखनऊ द्वारा उनमें जर्कर की टक्कर की बोई हो गई। जिसमें 5.1 करोड़ का उत्तरायण भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया है। कारिंडोर की चौड़ा लंबाई 17 मीटर है।

## जिले के सभी बूथों पर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनी गई मन की बात

## जन एक्सप्रेस | अयोध्या

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी महेन्द्र कमार मिश्र ने बताया कि उनमें जर्कर की टक्कर की बोई, लखनऊ द्वारा उनमें जर्कर की टक्कर की बोई हो गई। जिसमें 5.1 करोड़ का उत्तरायण भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया है। कारिंडोर की चौड़ा लंबाई 17 मीटर है।

## जिले के सभी बूथों पर पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा सुनी गई मन की बात

## जन एक्सप्रेस | अयोध्या

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी महेन्द्र कमार मिश्र ने बताया कि उनमें जर्कर की टक्कर की बोई, लखनऊ द्वारा उनमें जर्कर की टक्क















# बिहार के बाद अब झारखंड में पुल ढहा अरगा नदी पर बन रहा था, करीब 5.5 करोड़ थी लागत

जन एक्सप्रेस/एजेंसी रांची



वर्षी, कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुल 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा था।

## पुल का निर्माण चल रहा

गिरिडीह के पथ निर्माण विभाग के

कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि फिलहाल किसी के हात होने की जानकारी नहीं है। घटना शनिवार रात झारखंड की राजधानी संची से कीरीब 235 किलोमीटर दूर देवरी ब्लॉक में हुई। इमुंटेन्ट और करीपहरी गांवों को जानुरे के लिए फेटेहपुर-भेलावती मार्ग पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। इतनी लागत से हो रहा था तैयार

वर्षी, कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पुल 5.5 करोड़ की लागत से बन रहा था।

शनिवार रात भारी बारिश के कारण पुल का गार्डंट टूट गया, जिसकी वजह से एक खंभा झुक गया। ठेकेदार को हिस्से का पुनर्निर्माण करने

वर्षी, बिहार में पुल गिरने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तीव्र 10-15 दिनों में बिहार में पांचवां पुल भरभरकर गिर गया था। ताजा मामला मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड के भेजा कोशी बांध चौक से महपतिया मुख्य सड़क में ललवारी निकट का है। ग्रामीणों का कहना था कि गार्डर के लिए शटरिंग का काम चल रहा था। तभी भूतीली बालन नदी में अवानक जलस्तर बढ़ गया जिस वजह से पानी के तेज बहाव में गार्डर बह गया। ग्रामीणों का कहना था कि गार्डर गिरने की बात को लोगों ने समझा कि गूंफ पुल गिर गया। मधेपुर प्रखंड के भूतीली बालन नदी में अवानक जलस्तरबढ़ गया है। वर्षी कुछ लोगों का यह भी कहना था कि यह पूल नहीं बालंक डायरेसन था जो टूट गया।

## 2.98 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल

2.98 करोड़ की लागत से हो पुल बनाया जा रहा था। घटना के बाद जेंडर, एक्सीकूटिव और विधायक के सहायते ने घटनास्थल का यात्रा किया था। कार्यपालक अधिकारी ने पुल के सवेदारों को पुल के पुनः निर्माण का आदेश दिया है। आदेश मिलने के बाद सवेदारों ने पानी सुखने पर पुनः बोम के निर्माण करने की बात कही है।

## एक सप्ताह पहले ही हुआ था काम

सूत्रों ने कहा कि पुल का निर्माण कीरीब पांच करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। यह झारखंड के गिरिडीह और बिहार के जमुरी जिले के दूरवराज के गांवों को जाओंगा। एक अर्य इंजीनियर ने कहा कि गार्डर पर शटरिंग का काम एक हपते पहले हुआ था और इसे मजबूत करने के लिए कम से कम 28 दिनों की आवश्यकता थी।

पुल की परियोजना लागत के बारे में नहीं बताया।

के लिए कहा गया है। हालांकि उन्होंने

पुल की परियोजना लागत के बारे में नहीं बताया।

## आज से लागू होगा कानून

शादी का ज्ञासा देकर संबंध बनाना, परी से जबरदस्ती करना अब दुष्कर्म नहीं  
जन एक्सप्रेस/एजेंसी नई दिल्ली



एक ज्ञाली से लागू हो रहे एक कानून के तहत शादी का ज्ञासा देकर किसी बालिग मरियादा से संबंध बनाना अब दुष्कर्म नहीं होगा। इसके कारणी से बाहर हो गया है।

इसमें एक दिन पहले जद (यू) ने

बिहार में आवश्यक बोली दी है। दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 69 के तहत भी कड़े सजा के प्रवाधन की गिरावट है।

ऐसे अरोपियों में दोनों पाएं जाने पर अधिकतम 10 साल कैद या इससे

कम की सजा हो सकती है। पहले

इसको दुष्कर्म की धारा-69 में माना जाता था। वहीं पली से जबरदस्ती संबंध बनाना भी दुष्कर्म की श्रेणी से बाहर है।

इस प्रवाधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला सुरीम कोर्ट ने विचाराधीन है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

पहले इसको दुष्कर्म की धारा-69 में माना जाता था। वहीं पली से जबरदस्ती संबंध बनाना भी दुष्कर्म की श्रेणी से बाहर है।

इस प्रवाधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

मामला सुरीम कोर्ट ने विचाराधीन है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

कांग्रेस बोली, 50 फीसदी से अधिक हो आरक्षण की सीमा, संसद को पारित करना चाहिए कानून  
जन एक्सप्रेस/एजेंसी नई दिल्ली



कांग्रेस ने रविवार को कहा कि संसद

को एक कानून पारित करना चाहिए,

ताकि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी

से अधिक हो सके। विपक्षी पार्टी की

ओर से यह बयान तब सामने आया

है, जब एक दिन पहले जद (यू) ने

बिहार में आवश्यक बोली दी है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63,

64 और 70 में प्रवाधन किया गया है।

दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की

सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

कांग्रेस बोली, 50 फीसदी से अधिक हो आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक हो सके। विपक्षी पार्टी की ओर से यह बयान तब सामने आया है, जब एक दिन पहले जद (यू) ने

बिहार में आवश्यक बोली दी है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दुष्कर्म की सजा को धारा 64 और सामूहिक

कानून की सजा हो सकती है।

दुष्कर्म और समूहीकृत दुष्कर्म के लिए धारा 63, 64 और 70 में प्रवाधन किया गया है। दुष्कर्म के लिए धारा 63, दु